

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-डॉ. अमित यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 18/2024
जी.सी.एम.एम. पोर्टल नम्बर- 2024/23

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम एयू फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लि0) क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, सुन्दर विला, वोडाफोन स्टोर के उपर, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर 342001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मोहन राम जाखड		1. मैसर्स ईनाणिया ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर श्री हरजीराम ईनाणिया पता-एफ-13, कृषि उपज मण्डी, जिला नागौर 341001 राजस्थान 2. हरजीराम इनाणिया पुत्र भोजाराम इनाणिया पता-वार्ड नम्बर 30, हनुमान बाग, जिला नागौर 341001, राजस्थान 3. देवेन्द्र ईनाणिया पुत्र हरजीराम ईनाणिया पता-हनुमान बाग कॉलोनी, जिला नागौर 341001 राजस्थान

आदेश

दिनांक: 10/01/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को ऋण खाता संख्या 2021226929749830 में राशि रुपये 50,00,000/- (अक्षरे पचास लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.09.2020 एवं ऋण खाता संख्या 2021226929650078 में राशि रुपये 35,00,000/- (अक्षरे पैंतीस लाख रुपये मात्र) दिनांक 30.09.2020 इस प्रकार कुल राशि रुपये 85,00,000/- (अक्षरे पिचियासी लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- श्री देवेन्द्र ईनाणिया पुत्र श्री हरजीराम जी मारगेज आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 59, ब्लॉक नम्बर 03, हनुमान बाग कॉलोनी, जिला नागौर, राजस्थान 341001 एवं सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग-सम्पत्ति भूमि और भवन, सरंचना निर्माण व प्रतिष्ठान आदि शामिल है, उत्तर में-प्लॉट नम्बर 60, दक्षिण में-प्लॉट नम्बर 58, पूर्व में-रोड, पश्चिम में-प्लॉट नम्बर 75-76 जिसका कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 10.07.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में ऋण खाता संख्या 2021226929749830 में राशि रुपये 32,73,074/- (अक्षरे बत्तीस लाख तैहत्र हजार चौहत्र रुपये मात्र) एवं ऋण खाता संख्या 2021226929650078 में राशि रुपये 21,26,261/- (अक्षरे इक्कीस लाख छब्बीस हजार दो सौ इकसठ रुपये मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल राशि रुपये 53,99,335/- (अक्षरे तैप्पन लाख निन्यानवे हजार तीन सौ पैंतीस रुपये मात्र) दिनांक 14.07.2023 तक शेष देय है व इससे आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि बकाया निकलते हैं।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 14.07.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबार में प्रकाशन भी करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि ऋण खाता संख्या 2021226929749830 में राशि रूपये 32,73,074/- (अक्षरे बत्तीस लाख तैहत्र हजार चौहत्र रूपये मात्र) एवं ऋण खाता संख्या 2021226929650078 में राशि रूपये 21,26,261/- (अक्षरे इक्कीस लाख छब्बीस हजार दो सौ इकसठ रूपये मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल राशि रूपये 53,99,335/- (अक्षरे तैप्यन लाख निन्यानवे हजार तीन सौ पैंतीस रूपये मात्र) दिनांक 14.07.2023 तक शेष देय है व इससे आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक््योरिटीज एवं सिक््योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक््योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री देवेन्द्र ईनाणिया पुत्र श्री हरजीराम जी मारगेज आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 59, ब्लॉक नम्बर 03, हनुमान बाग कॉलोनी, जिला नागौर, राजस्थान 341001 एवं सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग-सम्पत्ति भूमि और भवन, सरंचना निर्माण व प्रतिष्ठान आदि शामिल है, उत्तर में-प्लॉट नम्बर 60, दक्षिण में-प्लॉट नम्बर 58, पूर्व में-रोड, पश्चिम में-प्लॉट नम्बर 75-76 जिसका कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से ऋण खाता संख्या 2021226929749830 में राशि रूपये 50,00,000/- (अक्षरे पचास लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.09.2020 एवं ऋण खाता संख्या 2021226929650078 में राशि रूपये 35,00,000/- (अक्षरे पैंतीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 30.09.2020 इस प्रकार कुल राशि रूपये 85,00,000/- (अक्षरे पिचियासी लाख रूपये मात्र) प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्री देवेन्द्र ईनाणिया पुत्र श्री हरजीराम जी मारगेज आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 59, ब्लॉक नम्बर 03, हनुमान बाग कॉलोनी, जिला नागौर, राजस्थान 341001 एवं सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग-सम्पत्ति भूमि और भवन, संरचना निर्माण व प्रतिष्ठान आदि शामिल है, उत्तर में-प्लॉट नम्बर 60, दक्षिण में-प्लॉट नम्बर 58, पूर्व में-रोड, पश्चिम में-प्लॉट नम्बर 75-76 जिसका कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर